दां.प्रकी.(जमा.) 4405/2004
07.12.2004

माननीय न्यायाधिपति श्री कृष्ण कुमार

प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार गर्ग,
जन अभियोजक श्री अशोक उपाध्याय उपस्थित।

योग्य अभिभाषक अभियुक्त-प्रार्थीगण जंगीर सिंह व हरबंस कौर का तर्क है कि प्रथम मृत्युकालिक कथन श्रीमती रविन्द्र कौर का अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा रेकर्ड किया गया है जिसमें चाय बनाने के लिए गैस जला रही थी और यह माचिस लगाने से अचानक कपड़ो में आग लगना बताया है। उसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 20.7.2004 को बयान लिए गए जिसमें सीखावे में आकर अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करना व आग लगाने की बात बताई है। उनका यह भी तर्क है कि इस प्रकरण में चश्मदीद गवाह मनदीप नाथ के बयान लिए गए जिसमें भी चाय बनाते समय वह अचानक जली स्पष्ट बयान दिए हैं। उन्होंने गवाह मूलचन्द, पुष्पा देवी, विद्यादेवी, शकूर मोहम्मद, विमला देवी, संतोष वर्मा के बयानो की ओर ध्यान आकर्षित किया और बताया कि दहेज की मांग को लेकर कोई भी झगड़ा नहीं था न ही कभी सास श्वसुर या पति को मारपीट करते देखा। इसके अलावा पंचायत के गवाहो के बयानो की ओर भी ध्यान आकष्रित किया जिसमें बताया कि वह अलग होना चाहती थी। इस प्रकार उनका तर्क है कि दूसरे मृत्युकालिक कथन कि ताईद स्वतंत्र गवाहो से नहीं होती है। ये बयान प्राकृतिक नहीं हैं। एक तरफ उसका यह कथन रहा कि उसे घासतेल डालकर जला

दी गई और दरवाजा भी बन्द था, उसके बाद पुन: आग बुझाई पानी डाला व अस्पताल लेकर गए। उसके बयान प्राकृतिक नहीं है। अत: रेकर्ड पर आई तमाम साक्ष्य को देखते हुए अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा करने की इस्तदुआ की गई।

योग्य जन अभियोजक ने प्रार्थना-पत्र पर एतराज किया और तर्क किया कि पहले बयान जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए गए वह ससुराल वालो के भय की वजह से दिए गए हैं जो उसने दूसरे मृत्युकालिक कथन में स्पष्ट कहा है। इस प्रकार दूसरे मृत्युकालिक कथन को नहीं मानने के कोई कारण नहीं है। इन्दर कौर, महावीर सिंह के बयानो की ओर ध्यान आकर्षित किया और दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान किया जाता रहा था और उसकी शादी के सात साल में अप्राकृतिक मृत्यु हुई है, ऐसे प्रकरण में जमानत स्वीकार नहीं की जावे।

मैंने दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया। अभियुक्त-प्रार्थीगण सास श्वसुर बताए गए हैं, दूसरे मृत्युकालिक कथन में इस पर केरोसीन डालकर आग लगाने के सम्बन्ध में बयान दिए गए हैं जबकि प्रथम मृत्युकालिक कथन में दुर्घटनावश मृत्यु होना बताया गया है। इस प्रकरण में चश्मदीद गवाह मनदीप नाथ के बयान हुए हैं जो वाके के समय घर पर मौजूद था और जब मृतका चाय बनाने गई, अचानक उसने जलने की आवाज सुनी और कपड़े में आग लगी हुई देखी जो उसने बुझाई और अस्पताल लेकर गए हैं। काफी स्वतंत्र गवाहो ने जो पास में रहते हैं उन्होंने किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना कहा और पंचायत के गवाहो ने भी यह स्पष्ट कहा कि वह अपने ससुराल से अलग होना चाहती थी। इस प्रकार

प्रकरण में दो मृत्युकालिक कथन आए हैं और प्रथम मृत्यु कालिक कथन की ताईद गवाहो के बयानो से होती है। स्वतंत्र गवाहो के द्वारा किसी प्रकार के दहेज की मांग या झगड़ा होने की साक्ष्य नहीं दी। इस स्टेज पर बिना गुणावगुण पर राय दिए, चूंकि दोनों अभियुक्तगण सास श्वसुर होना बताए गए हैं जो वृद्ध भी हैं, प्रकरण में आई विशिष्ठ परिस्थितियों को देखते हुए, अभियुक्त-प्रार्थीगण को जमानत पर रिहा करने के मैं उचित आधार पाता हूं।

अत: यह प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थीगण जंगीरसिंह पुत्र सुरजन सिंह एवं हरबंस कौर पत्नी जंगीरसिंह योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जावे, उपस्थिति हेतु, प्रत्येक प्रार्थी, बीस हजार रूपए का बन्ध-पत्र एवं दस-दस हजार रूपए की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तो उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(न्यायाधिपति कृष्ण कुमार)